उपनियम

राजस्थान महिला निधि

क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड

हिन्दी अनुवाद

हिन्दी पाठ के किसी हिस्से पर विवाद की स्थिति में उपनियम का अंग्रेजी भाषा अनुवाद ही अंतिम माना जाएगा

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited
JAIPUR

विषय सूची

राजस्थान महिला निधि

क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर

क्र.सं.	विवरण	पेज.सं.
1	नाम, पता और कार्यक्षेत्र	3
2	परिभाषाएँ	3
3	उद्देश्य	4
4	दायित्व	4
5	शेयर पूंजी	4
6	स्वामित्व निधि	5
7	सदस्यता	5
8	सदस्यता हेतु आवेदन	5
9	प्रवेश शुल्क	5
10	शेयर और उससे संबंधित मामले	6
11	शेयरों का हस्तांतरण	6
12	सदस्यता की समाप्ति	6
13	ऋण चुकौती का विनियोजन	7
14	पूर्व सदस्यों का दायित्व	7
15	निधिया	7
16	अमानतें/जमा	7
17	उधार	7
18	प्रतिनिधि सामान्य सभा	8
19	प्रबंध कार्यकारिणी समिति	8 से 9
20	पदाधिकारी	9
21	समिति के सदस्य की अयोग्यता	10
22	वार्षिक आम सभा बैठक का कार्य/व्यवसाय	10
23	प्रबंध कार्यकारिणी समिति की शक्तियां	11 से 12
24	पदाधिकारियों की शक्तियाँ	12
25	सीईओ/प्रबंध निदेशक की शक्तियां	12 से 13
26	सामान्य निकाय की बैठक	14
27	ऋण की मंजूरी, संवितरण और पुनर्भुगतान	14 से 15
28 से 41	विविध	15 से 16

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited JAIPUR

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड

प्रस्तावना:

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के तहत एक शीर्ष सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है।

1. नाम, पता और कार्यक्षेत्र:

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के तहत एक शीर्ष सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है। इसका पता तीसरी मंजिल, बी ब्लॉक, उद्योग भवन, सी–स्कीम, जयपुर होगा। इसका कार्यक्षेत्र पूरे राजस्थान राज्य तक विस्तारित होगा।

2. परिभाषाएँ:

उपनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

a) "अधिनियम" का अभिप्राय, राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 2001 से है।

b) राजस्थान महिला निधि का अभिप्राय राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड से है।

c) "सदस्य" का अभिप्राय, ग्रामीण क्षेत्रों में राजीविका (आरजीएवीपी)) द्वारा पोषित स्वयं सहायता समूहों के संकुल स्तरीय संघ (सीएलएफ–क्लस्टर लेवल फेडरेशन) से है, जो राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के तहत पंजीकृतहै।

d) "रजिस्ट्रार" का अभिप्राय, "रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान", जयपुर या कोई अन्य अधिकारी से है, जिसको राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम 2001 के तहत सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

e) "नियम" का अभिप्राय, "राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001" के तहत बनाए गए राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 से है।

f) "प्रबंध कार्यकारिणी समिति" से अभिप्राय, राजस्थान महिला निधि की प्रबंध कार्यकारिणी समिति से है।

g) "सरकार का अभिप्राय, राजस्थान सरकार से है।

h) "जी.बी" का अभिप्राय राजस्थान महिला निधि की सामान्य सभा से है।

i) "उपनियमों में दिए गए, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के सभी संदर्भ उन क्लस्टर लेवल फेडरेशनों पर लागू होंगे जो राजस्थान महिला निधि के सदस्य हैं।

j) "नोमिनल मात्र सदस्य" का अभिप्राय है, राजीविका (आरजीएवीपी) , जयपुर द्वारा प्रौन्नत, ग्राम संगठन, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्य। "नोमिनल सदस्यों के पास कोई मतदान अधिकार नहीं होगा लेकिन वे राजस्थान महिला निधि से वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, कोई अन्य समिति जो आजीविका को बढ़ावा देने में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की मदद करती है, जैसे उत्पादक सहकारी समितियाँ और उत्पादक कंपनियाँ भी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से नोमिनल सदस्य होंगी।

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited JAIPUR

3. उद्देश्यः–

राजस्थान महिला निधि का उद्देश्य होगा

a) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों व स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जो राजीविका (आरजीएवीपी) द्वारा प्रवर्तित ग्राम संगठन/ क्लस्टर लेवल फेडरेशन जैसे फेडरेशनों से संबद्ध हों, को किफायती ऋण प्रदान करना।

b) सरकार, सार्वजनिक संस्थाओं, बैंकों, धर्मार्थ ट्रस्टों (भारत और विदेश दोनों से) से धन प्राप्त करना और सदस्यों और नोमिनल सदस्यों को नकद क्रेडिट या टर्म लोन या प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रकार के ऋण के रूप में प्रदान करना।

c) क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ग्राम संगठन, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और किसी भी नोमिनल सदस्य के साथ पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता के साथ ऑनलाइन लेनदेन करना, जो क्रेडिट और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

d) राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करना।

e) शीर्ष स्तर के प्रबंधन के लिए पेशेवरों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, फेडरेशनों और सदस्यों को कुशल सेवा प्रदान करना।

f) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए राजीविका (आरजीएवीपी) के साथ मिलकर काम करना सदस्य समितियों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना।

g) गरीबों के लिए स्व–प्रबंधित, आत्मनिर्भर और संधारणीय संगठन जैसे संकुल स्तरीय संघ, ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूह का गठन करना।

h) बैंकों के लिए कॉर्पोरेट बीसी के रूप में कार्य करना और ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी सेवाओं का विस्तार करना।

i) क्रेडिट जोखिम और जीवन जोखिम कम करने के लिए पारस्परिक बीमा सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ संचालित करना।

j) ऐसे अन्य कार्य करना जो सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा दे सकें व उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्ति कम लिए प्रासंगिक हों।

4. दायित्वः

राजस्थान महिला निधि के सदस्यों का दायित्व उनके समिति सें अंशपूंजी दान तक सीमित होगा

5. शेयर पूंजीः

a) राजस्थान महिला निधि की अधिकृत शेयर पूंजी 500.00 करोड़ रुपये होगी, जो प्रत्येक एक हजार रुपये के 50,00,000 शेयरों से बनी होगी।

b) सदस्य के रूप में भर्ती होने पर प्रत्येक संबद्ध सोसायटी को न्यूनतम एक शेयर खरीदना होगा।

c) सरकार, राजस्थान राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम' 2001 के प्रावधानों के अधीन किसी भी संख्या में शेयर खरीद सकती है।

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Societies Limited JAIPUR

6. स्वामित्व निधिः

a) शेयर पूंजी – सीएलएफ/सरकार से
b) राज्य सरकार/भारत सरकार से अनुदान
c) सामान्य निधियां
d) अवितरित लाभ
e) कोई अन्य अनुदान आदि।
f) समृद्धि जमा जो किसी भी समय 6 वर्षों से हमारे पास है।
g) सीआईएफ पूंजी जमाऐं जो शाश्वत प्रकृति की हैं।

7. सदस्यताः

राजस्थान महिला निधि की सदस्यता राजीविका (आरजीएवीपी) और सरकार द्वारा प्रवर्तित सभी क्लस्टर लेवल फेडरेशनों के लिए उपलब्ध होगी। नाममात्र सदस्य निम्नलिखित होंगे जो राजस्थान महिला निधि से वित्तीय सुविधा प्राप्त कर सकते हैं :–

i. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या ग्राम संगठन (वी.ओ.) जो राजीविका (आरजीएवीपी) द्वारा पोषित हों। राजस्थान महिला निधि, सीएलएफ के अलावा नोमिनल सदस्यों को सीधे उधार दे सकती है या उनसे जमा स्वीकार कर सकती है।
ii. इसके साथ, कोई अन्य समिति जो स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को आजीविका में मदद करती है जैसे उत्पादक सहकारी समितियाँ और उत्पादक कंपनियाँ भी वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नोमिनल सदस्य बन सकते हैं।
iii. कोई भी सोसायटी, यदि वह राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 और उसके तहत नियमों में निर्दिष्ट किसी भी तरह अयोग्य पाई गई है, सदस्य के रूप में शामिल होने और राजस्थान महिला निधि का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं होगी ।

8. सदस्यता हेतु आवेदनः

राजस्थान महिला निधि में सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए प्रत्येक आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और राजस्थान महिला निधि के सीईओ/प्रबंध निदेशक को संबोधित किया जाएगा जो इसे अनुमोदन के लिए प्रबंध कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेंगे। प्रबंध कार्यकारिणी समिति, उपविधि संख्या 7 के तहत विधिवत योग्य किसी भी सोसायटी की सदस्यता लेने से, बिना पर्याप्त कारण के, इनकार नहीं करेगी। यदि राजस्थान महिला निधि की प्रबंध कार्यकारिणी समिति प्रवेश से इनकार करने का निर्णय लेती है, तो ऐसा निर्णय, उस सोसायटी को कारण सहित, राजस्थान महिला निधि द्वारा पंजीकृत डाक द्वारा, निर्णय की तारीख से 15 दिनों के भीतर या सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, ऐसी सोसायटी को सूचित किया जाएगा।

9. प्रवेश शुल्कः

a) प्रत्येक सदस्य को शेयरों के आवंटन पर 1000 रुपये का प्रवेश शुल्क देना होगा। हालाँकि, राज्य सरकार को प्रवेश शुल्क का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा।
b) नाममात्र सदस्यः स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्य और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को रु.100/– ग्राम संगठन को रु.500/– रुपये का प्रवेश शुल्क देना होगा।
c) शेयर, लाभांश और फंड पर ग्रहणाधिकारः फेडरेशन के पास किसी भी सदस्य/नाममात्र सदस्य के सभी शेयरों, लाभांश और फंड पर समय–समय पर देय सभी धन के लिए पहला और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार या प्रभार होगा। फेडरेशन किसी भी समय सदस्य या

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited JAIPUR

नाममात्र सदस्य द्वारा जमा की गई या देय किसी भी राशि को समायोजित कर सकता है।

10. शेयर और उससे संबंधित मामले:

a) लिए गए शेयरों के लिए, प्रत्येक सदस्य को, राजस्थान महिला निधि के अध्यक्ष और सीईओ/प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और राजस्थान महिला निधि की मुहर के साथ शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

b) यदि शेयर प्रमाणपत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा आवश्यक समझे गए तथ्यों को उचित रुप से प्रचारित करने के बाद एक डुप्लिकेट प्रति जारी की जा सकती है। यदि कोई आपत्ति उठाई जाती है तो इसे प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा देखा जाएगा जिसका इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा। यदि कोई प्रमाणपत्र फट गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो प्रबंध कार्यकारिणी समिति उसे रद्द करने का आदेश दे सकती है और उसके बदले में डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।

c) जारी किए गए प्रत्येक डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र के लिए रु. 100/– का शुल्क लिया जाएगा।

d) किसी भी सदस्य को अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर या ब्याज को तब तक हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि सोसायटी राजस्थान महिला निधि के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य न हो जाए।

11. शेयरों का हस्तांतरण:

सदस्य को, शेयरों को कम से कम एक सहकारी वर्ष तक अपने पास रखने होंगे। एक वर्ष के बाद वह, अपना हिस्सा/ शेयर, प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा सदस्य के रूप में स्वीकृत की गई किसी सोसायटी को हस्तांतरित कर सकता है, बशर्ते कि शेयर का ऐसा हस्तांतरण तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है और जब तक अंतरिती का नाम शेयर अंतरण रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है और यह इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसे सदस्य द्वारा धारित शेयर कुल धारित शेयरों के 1/5 से अधिक नहीं होंगे।

12. सदस्यता की समाप्ति:

a) राजस्थान महिला निधि में किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी, जब:–

i. सदस्य द्वारा धारित सभी शेयरों का स्थानांतरण कर दिया गया हो

ii. सदस्य का पंजीकरण रद्द होने पर

b) यदि कोई सदस्य सदस्यता के लिए पात्र नहीं रह जाता है, तो राजस्थान महिला निधि सदस्यों की सूची से उसका नाम हटा देगी और उचित अवधि के भीतर ऐसे सदस्य को उसके द्वारा रखी गई शेयर पूंजी का, घोषित लाभांश के साथ, यदि कोई हो, तो उसमें से राजस्थान महिला निधि को देय कोई भी राशि काटने के बाद, भुगतान करने की व्यवस्था करेगी। ।

c) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की मंजूरी से कोई भी सदस्य किसी अन्य शीर्ष सहकारी क्रेडिट सोसायटी से संबद्ध होने के उद्देश्य से या राजस्थान महिला निधि के समांपन के आदेशों की स्थितिं में, किसी भी समय अपनी पूरी शेयर पूंजी निकाल सकता है।

d) राज्य सरकार द्वारा धारित शेयरों की निकासी ऐसे नियमों और शर्तों पर होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जा सकती हैं और ऐसे नियम और शर्तें राजस्थान महिला निधि पर बाध्यकारी होंगी।

e) जब एक सदस्य सोसायटी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के तहत समापन कर दिया गया है, तो राजस्थान महिला निधि की प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited JAIPUR

परिसमापक के आवेदन करने पर, ऐसे सदस्य द्वारा रखी गई शेयरों की राशि में से राजस्थान महिला निधि को देय कोई भी राशि काटने के बाद, शेयरधारक द्वारा धारित संपत्ति परिसमापक को वापस कर सकती है।

13. ऋण चुकौती का विनियोजनः

जब कोई सदस्य जिस पर पैसा बकाया है और वह किसी भी राशि का भुगतान करता है, तो इसे प्रत्येक ऋण के लिए अलग से निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगाः

i. सबसे पहले, फीस, जुर्माना, डाक शुल्क, अदालती शुल्क और सदस्य से अन्य बकाया विविध शुल्क
ii. सदस्य द्वारा देय शुल्क,
iii. फिर ब्याज राशि और
iv. अंत में मूल राशि

14. पूर्व सदस्यों का दायित्वः

पूर्व सदस्य, उपनियम संख्या 4 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, राजस्थान महिला निधि की सदस्यता समाप्त हाने की तिथि को बकाया राशि के लिए, सदस्यता समाप्त हाने की तिथि से दो साल की अवधि के लिए उत्तरदायी होगा।

15. निधियांः–

राजस्थान महिला निधि नियमित रूप से निम्नलिखित सभी या किसी एक मोड से से निधियां प्राप्त करेगीः

a) शेयर पूंजी
b) प्रवेश शुल्क और अन्य शुल्क
c) सदस्यों / नाममात्र सदस्यों से जमा
d) राज्य सरकार, भारत सरकार या अन्य एजेंसियों से ऋण
e) सरकार और सरकारी एजेंसियों से अनुदान सहायता और सब्सिडी
f) बैंकों, नाबार्ड और इसकी सहायक कंपनियों, एलआईसी, एनसीडीसी एनएसटीएफडीसी सिडबी, आरएमके और केंद्र और राज्य सरकार के अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण
g) किसी अन्य स्रोत के माध्यम से जिसे राज्य / केंद्र सरकार व्यवसाय करने के लिए निर्दिष्ट कर सकती है और जो कॉ–ऑपरेटिव फेडरेशनों के लिए वैध है या उपनियमों में उल्लिखित है।

16. अमानतें / जमाऐंः

a) राजस्थान महिला निधि ऐसे नियमों और शर्तों पर सदस्यों और नाममात्र सदस्यों से जमा स्वीकार कर सकती है जैसा कि प्रबंध कार्यकारिणी समिति समय समय पर निर्धारित करती है।
b) अमानतें किसी भी समय, सहकारी समिति अधिनियम और नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा में ऐसे ब्याज दरों पर और नियमों और विनियमों के अधीन प्राप्त की जा सकती हैं जो प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा तय किए जाते हैं।

17. उधार

a) राजस्थान महिला निधि की प्रबंध कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव पारित कर, सरकार से बैंक और अन्य सार्वजनिक संस्थान आदि से, ऋण, अनुदान के माध्यम से धन उधार ले सकती है, अमानतें जुटा सकती है।

Nidhi Credit Co-operative ... JAIPUR

b) राजस्थान महिला निधि की कुल उधार, किसी भी समय प्रदत्त शेयर पूंजी, आरक्षित निधि, प्रारंभिक पूंजी और ऐसे अन्य फंड, जो कि स्वयं की निधि में सम्मिलित हों, के कुल योग से 10 गुना से अधिक नहीं होगी ।

18. प्रतिनिधि सामान्य सभाः

a) राजस्थान महिला निधि की आम सभा में सभी सदस्य सीएलएफ के अध्यक्ष शामिल हैं।

b) यदि आवश्यक हो तो राजस्थान महिला निधि की प्रबंध कार्यकारिणी समितिहर जिले में ग्रामीण क्लस्टर स्तरीय संघों के, प्रति संघ, पांच प्रतिनिधियों की दर से एक छोटी प्रतिनिधि जनरल बॉडी (डीजीबी) का गठन कर सकती है।

c) जिले में ग्रामीण क्लस्टर स्तरीय संघों के अध्यक्ष, अपने बीच से डीजीबी के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगें।

d) प्रबंध कार्यकारिणी समिति, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 और उपनियमों के प्रावधानों के अधीन, प्रतिनिधि सामान्य सभा के चुनाव कार्यक्रम के संचालन के लिए, तौर–तरीकों, प्रक्रिया और अन्य संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

e) निर्वाचित प्रतिनिधि पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा। किसी भी अंतरिम रिक्ति के मामले में, संबंधित जिले के अध्यक्ष, जिसमें अंतरिम रिक्ति उत्पन्न होती है, के शेष कार्यकाल के लिए प्रतिनिधि के चुनाव हेतु, राजस्थान महिला निधि की प्रबंध कार्यकारिणी समिति अपने विवेक से विशेष बैठक आयोजित कर सकती है।

f) प्रतिनिधि सामान्य सभा, सामान्य सभा के वे सभी कार्य करेगी जो, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 21(2) एवं नियम 2003में प्रावधानित सीमाओं के अधीन हैं।

19. प्रबंध कार्यकारिणी समितिः

1. राजस्थान महिला निधि की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में कुल 18 सदस्य होंगे, जिनमें से 12 सदस्य, साधारण सभा द्वारा ग्रामीण क्लस्टर स्तरीय संघों से चुने जाते हैं, 3 को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है और 1 पदेन सदस्य के रूप में सीईओ/प्रबंध निदेशक होता है, जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और दो सदस्य,जो सीजीएम, नाबार्ड और संयोजक. एसएलबीसी हैं, को समिति द्वारा सहयोजित किया जाता है। प्रबंध कार्यकारिणी समिति में विशेषज्ञ के रूप में 2 से अनधिक व्यक्तियों को विशेष आमंत्रित किया जा सकता है।
2. प्रबंध कार्यकारिणी समिति में सीएलएफ के प्रतिनिधियों का चुनाव राजस्थान राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 और उसमें उल्लिखित नियमों के अनुसार होगा।
3. ग्रामीण क्लस्टर स्तरीय संघों से प्रबंध कार्यकारिणी समिति के लिए 12 सदस्यों का चुनाव राजस्थान महिला निधि के संचालन क्षेत्र को 12 क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में नीचे दिए अनुसार विभाजित करके किया जाएगाः–

निर्वाचन क्षेत्र 1	दौसा, अलवर, जयपुर।
निर्वाचन क्षेत्र 2	भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली।
निर्वाचन क्षेत्र 3	जालोर, पाली, सिरोही।
निर्वाचन क्षेत्र 4	बीकानेर, सीकर, झुन्झुनू।
निर्वाचन क्षेत्र 5	हनुमानगढ़, चुरू, श्री गंगानगर।
निर्वाचन क्षेत्र 6	भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़।
निर्वाचन क्षेत्र 7	डूंगरपुर, बांसवाड़ा।
निर्वाचन क्षेत्र 8	बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर।
निर्वाचन क्षेत्र 9	बूंदी, कोटा।
निर्वाचन क्षेत्र 10	झालावाड़, बारां।
निर्वाचन क्षेत्र 11	अजमेर, टोंक, नागौर।
निर्वाचन क्षेत्र 12	उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़।

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited JAIPUR

सभी निर्वाचन क्षेत्रों के संबंधित जिलों में सदस्य क्लस्टर स्तरीय संघों के अध्यक्ष अपने बीच से, निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार हर निर्वाचन क्षेत्र एक प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्यका चुनाव करेंगे। एमसी (प्रबंध कार्यकारिणी समिति)को आम सभा की मंजूरी से प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

4. नामांकित सदस्यों को छोड़कर, प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य पाँच वर्षकी निर्दिष्ट अवधिअथवा शेष बची हुई अवधि के लिए एक बार और एक ही समय में निर्वाचित किए जाऐंगे।
5. यदि प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्य का कोई पद मृत्यु, त्यागपत्र आदि के कारण रिक्त हो जाता है तो जहां तक सरकारी नामितों की रिक्तियों का संबंध है, शेष अवधिके लिए, सरकार किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए नामांकित कर सकती है। निर्वाचित सदस्यों की रिक्तियां, पुनः चुनाव द्वारा भरी जानी है।
6. प्रबंध कार्यकारिणी समिति में किसी भी रिक्ति या रिक्तियों, जो भरी न जा सकीं हों, उन के कारण,प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही अमान्य नहीं की जाएगी, यदि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत कोरम की पूर्ति की गई है। प्रबंध कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य, राजस्थान महिला निधि के सीईओ/प्रबंध निदेशक को त्यागपत्र भेजकर, पद से इस्तीफा दे सकता है, लेकिन ऐसा इस्तीफा केवल उसी तारीख से प्रभावी होगा, जिस तारीख को इसे प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए सीईओ/एमडी,अध्यक्ष को इस्तीफा प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर, मामले पर निर्णय लेने के लिए, एमसी की बैठक बुलाने हेतु सूचित करेंगे औरअध्यक्ष, इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।
7. यदि एमसी सदस्य को सीएलएफ में अध्यक्ष के रूप में नहीं चुना जाता है तो जो अध्यक्ष बाद में चुना जाएगा वह उस सोसायटी से एमसी सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा।

20. पदाधिकारीः

a) प्रबंध कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव,राजस्थान महिला निधि के पदाधिकारियों के रूप में करेंगे।

b) प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक, राजस्थान महिला निधि के व्यवसाय के संचालन हेतु,एक वर्ष में कम से कम 4 बैठके आयोजित करना सुनिश्चित करते हुए,तीन महीने में कम से कम एक बार होगी।

c) प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए कोरम नौ (9) होगा। प्रबंध कार्यकारिणी समिति के समक्ष सभी मुद्दों का निर्णय बहुमत से किया जाएगा। वोटों की बराबरी के मामले में, अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले समिति के अन्य सदस्य द्वारा दूसरे वोट के रुप में दुबारा वोट दिया जाएगा। प्रबंध कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य, समिति की उस बैठक में उपस्थित नहीं होगा जिसमें ऐसा कोई मामला विचारणीय हो, जिसमें उसकी व्यक्तिगत रुचि हो।

d) प्रबंध कार्यकारिणी समितिकी बैठक के लिए 7 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा और बैठक की सूचना प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को ई–मेल या पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रुप से भेजी जाएगी। सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए पते पर भेजे जाने पर, नोटिस पर्याप्त और उचित माना जाएगा, यह उनका कर्तव्य है कि वे अपने पते में किसी भी बदलाव के बारे में राजस्थान महिला निधि को सूचित रखें।

e) राजस्थान महिला निधि के सीईओ/प्रबंध निदेशक, प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए समिति के कम से कम 5 सदस्यों या सहकारी रजिस्ट्रार से मांग प्राप्त होने की तारीख या प्राप्ति से 15 दिन की अवधि के भीतर, चर्चा किए जाने वाले विषयों को बताते हुए, एक बैठक बुलाएंगे। यदि नामित सदस्यों (पदेन सदस्य के अलावा) को छोड़कर,प्रबंध कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य, समिति की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसे

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Society Limited
JAIPUR

अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हालाँकि, समिति उसे राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के अनुसार बहाल कर सकती है।

21. समिति के सदस्य की अयोग्यताः

a) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह, अधिनियम में निर्दिष्ट किए गए अनुसार सदस्यता के लिए कोई अयोग्य हुआ है या अयोग्यता बरकरार है।
b) राजनीतिक संबद्धता वाला कोई भी व्यक्ति प्रबंध कार्यकारिणी समितिमें निर्वाचित नहीं होगा।

22. वार्षिक आम सभा बैठक का कार्य/ व्यवसायः

a) साधारण सभा की बैठक दो प्रकार की होगी अर्थात वार्षिक साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभा
b) और वार्षिक साधारण सभा वर्ष में एक बार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि में बुलाई और आयोजित की जाएगी।
c) विशेष साधारण सभा, प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा किसी भी समय आयोजित की जा सकती है। इसे प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा, कुल सदस्यों के कम से कम 1/5 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को की गई लिखित मांग पर या सहकारी रजिस्ट्रार की मांग पर भी बुलाया जाएगा।
d) अन्य मामलों के अलावा, निम्नलिखित कार्य, वार्षिक साधारण सभा द्वारा निपटाए जाऐंगेः–
    i. प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव एवं हटाया जाना
    ii. रजिस्ट्रार ,सहकारी समितियां को वार्षिक रिपोर्ट
    iii. ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार
    iv. शुद्ध लाभ का निपटान
    v. उपनियमों में संशोधन
    vi. आय एवं व्यय के वार्षिक बजट का अनुमोदन
    vii. राजस्थान महिला निधि के हितों के प्रतिकूल कार्य करने वाले सदस्य का निष्कासन
    viii. सहकारी शिक्षा निधि का गठन और उसका उपयोग।
    ix. प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति की समीक्षा
    x. अतिदेय ऋणों और डिफाल्टर्स की समीक्षा
    xi. स्टाफिंग पैटर्न और उनकी सेवा शर्तों का अनुमोदन
    xii. सदस्यता की समीक्षा
    xiii. आरसीएस/सरकार और वित्तपोषण संस्थानों द्वारा जारी निर्देश।
    xiv. उपनियमों के अनुसार कोई अन्य मामला

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited JAIPUR

23. प्रबंध कार्यकारिणी समिति की शक्तियां:

a) राजस्थान महिला निधि की प्रबंध कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित शक्तियों और ऐसी अन्य शक्तियो का प्रयोग करेगी, जो समय–समय पर सामान्य सभा द्वारा प्रदान की जाती हैं:–

i. राजस्थान महिला निधि के पंजीकरण में होने वाले प्रारंभिक खर्च का भुगतान करना

ii. सदस्यों को प्रवेश देना।

iii. किसी विशिष्ट समस्या या विषय पर विचार करने के लिए सलाहकार समितियाँ नियुक्त करना:

iv. सीईओ/प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में, राजस्थान महिला निधि के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए सभी अनुबंधों (बोण्ड), समझौतों, रसीदों और अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए किसी अन्य अधिकारी को अधिकृत करना।

v. राजस्थान महिला निधि द्वारा या इसके अधिकारियों के विरुद्ध किसी कानूनी कार्यवाही को शुरु करना, चलाना, बचाव करना, समझौता करना या त्यागना

vi. साधारण सभा के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, व्यापार, लाभ और हानि खाते और वार्षिक बजट तैयार करवाना।

vii. राजस्थान महिला निधि की प्रबंध कार्यकारिणी समिति, महिला निधि व्यवसाय के संचालन के लिए ऐसे सहायक नियम बनाने के लिए के लिए सक्षम होगी, जो अधिनियम, नियम और उपनियमों के अनुरुप हों, ऐसे सहायक नियमों को राजस्थान महिला निधि की कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किया जाएगा।

viii. प्रबंध कार्यकारिणी समिति या उप–समितिया किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक होने पर प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से समितियाँ नियुक्त कर सकेगी और ऐसी उपसमिति या समितियों द्वारा की गई सिफ़ारिशों पर विचार कर सकेगी।

ix. प्रबंध निदेशक को छोड़कर राजस्थान महिला निधि की प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सेवाएँ निःशुल्क होंगी। प्रबंध कार्यकारिणी समिति और अन्य उप–समितियों के सदस्य प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा तय किए गए यात्रा व्यय और महंगाई भत्ते के लिए पात्र होंगे।

x. हालांकि, प्रबंध कार्यकारिणी समिति या किसी अन्य उप–समिति का प्रत्येक सदस्य प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा तय किए अनुसार प्रत्येक बैठक के लिए बैठक शुल्क के लिए पात्र होंगे।

xi. हालांकि वे राजस्थान महिला निधि की बैठकों के लिए या राजस्थान महिला निधि की बैठकों की तारीखों के आसपास की गई यात्राओं के लिए किसी भी अन्य सहकारी संस्था से किसी भी यात्रा व्यय और अन्य भत्ते का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

xii. ओवरड्राफ्ट, ऋण और निवेश सहित उधार से संबंधित सभी मामलों के संबंध में नीतियां बनाना।

xiii. लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण में इंगित अनियमितताओं के सुधार हेतु कार्यवाही करना

xiv. राजस्थान महिला निधि के किसी भी ऋण या दावे से समझौता करना

xv. कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में मानव संसाधन नीति तैयार करना

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited
JAIPUR

xvi. ऐसे सभी कार्य करना जो उपनियमों में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों

xvii. राजस्थान महिला निधि के सदस्यों/नोमिनल सदस्यों को दिए गए ऋण और उनकी वसूली के संबंध में सभी विवादों का निपटारा करने के लिए प्रबंध कार्यकारिणी समिति सक्षम होगी।

xviii. भर्ती की विधि, अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाई गई और साधारण सभा द्वारा अनुमोदित, मानव संसाधन नीति के प्रावधानों के अधीन होगी।

xix. प्रबंध कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही, सीईओ/प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज की जाएगी और बैठक के अंत में संबंधित बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

xx. प्रबंध कार्यकारिणी समिति सदस्यों को ऋण सीमा स्वीकृत करने में सक्षम होगी।

xxi. सीईओ/प्रबंध निदेशक, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, की सेवा शर्तें और वेतन तय करना।

24. पदाधिकारियों की शक्तियाँ

राजस्थान महिला निधि के पदाधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी:

a) राजस्थान महिला निधि के अध्यक्ष का राजस्थान महिला निधि के मामलों पर सामान्य नियंत्रण होगा। सीईओ/प्रबंध निदेशक द्वारा, प्रबंध कार्यकारिणी समिति और सामान्य सभा के निर्णयों को लागू करने के लिए, उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में, समय–समय पर उन्हें सूचित किया जाएगा। उसके पास, प्रबंध निदेशक से व्यवसाय से संबंधित कोई भी जानकारी मांगने की शक्ति भी होगी।

b) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगी और उसकी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

c) कोषाध्यक्ष, बजट बनाम व्यय की समीक्षा करेंगे और सामान्य सभा की बैठक में बजट प्रस्तुत करेगी। कोषाध्यक्ष, सदस्यों से शेयर पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को सुगम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बैलेंस शीट और आय और व्यय विवरणों को समय पर अंतिम रूप दिया जाए और वह रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को प्रस्तुत करते समय, अध्यक्ष के साथ सभी ऑडिट विवरणों पर हस्ताक्षर करेगी।

25. सीईओ/प्रबंध निदेशक की शक्तियां:

प्रबंध कार्यकारिणी समिति की सामान्य शक्ति के अधीन, सीईओ/प्रबंध निदेशक के पास ऐसी अन्य शक्तियों या कर्तव्यों, जो उन्हें प्रबंध कार्यकारिणी समिति/सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे जा सकते हैं, के अलावा निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे:–

i. सीईओ/प्रबंध निदेशक का राजस्थान महिला निधि के प्रशासन पर नियंत्रण होगा।

ii. सीईओ/प्रबंध निदेशक, राजस्थान महिला निधि की साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठकें आयोजित करेंगे।

iii. सीईओ/प्रबंध निदेशक राजस्थान महिला निधि की ओर से मुकदमा दायर करने या मुकदमे का सामना करने वाले अधिकारी होंगे और राजस्थान महिला निधि के पक्ष में सभी बोंड और अनुबंध उनके नाम पर होंगे। वह राजस्थान महिला निधि

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited
JAIPUR

के व्यवसाय के उद्देश्य से सभी ऋण अनुबंधों और अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करेंगे।

iv. सीईओ/प्रबंध निदेशक राजस्थान महिला निधि के दैनिक कामकाज के सामान्य आचरण के लिए जिम्मेदार होंगे और राजस्थान महिला निधि के वेतनभोगी अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करेंगे।

v. सीईओ/प्रबंध निदेशक राजस्थान महिला निधि की ओर से सभी धन और प्रतिभूतियों को प्राप्त करेंगे या प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे और राजस्थान महिला निधि की नकदी शेष और अन्य संपत्तियों के उचित रखरखाव और अभिरक्षा की व्यवस्था करेंगे। वह सदस्यों/नोमिनल सदस्यों से जमा (मांग और सावधि जमा दोनों) प्राप्त करेंगे और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार जमा प्रमाणपत्र जारी करेगा और ब्याज के साथ परिपक्वता पर उनके भुगतान की व्यवस्था करेंगे।

vi. सीईओ/प्रबंध निदेशक, बजट आवंटन के अनुसार आकस्मिक व्ययों पर, एक समय में किसी एक मद पर 10,000/– रुपये तक की राशि, खर्च कर सकते हैं।

vii. सीईओ/प्रबंध निदेशक, राजस्थान महिला निधि की ओर से पत्राचार करेंगे।

viii. सीईओ/प्रबंध निदेशक राजस्थान महिला निधि की सदस्यता में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे और उनका रिकॉर्ड रखेंगे, प्रबंध कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेंगे और प्रबंध कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के बारे में, अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्धारित समय के भीतर, आवेदकों को सूचित करेंगे। सीईओ/प्रबंध निदेशक सदस्यों को फोटो पहचान पत्र जारी करेंगे।

ix. सीईओ/प्रबंध निदेशक राजस्थान महिला निधि द्वारा प्राप्त सभी धन की रसीदें जारी करेंगे या किसी अन्य अधिकारी को जारी करने के लिए अधिकृत करेंगे। राजस्थान महिला निधि द्वारा उधार लेने की स्थिति में सीईओ/प्रबंध निदेशक रसीदें जारी करेंगे। वह प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए रु. 1,00,000/– मूल्य तक के उपकरण खरीदेंगे।

x. सीईओ/प्रबंध निदेशक के पास प्रॉमिसरी नोट्स, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों के पुष्टिकरण और हस्तांतरण करने और राजस्थान महिला निधि की ओर से परक्राम्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की शक्तियां होंगी।

xi. सीईओ/प्रबंध निदेशक के पास राजस्थान महिला निधि की सभी संपत्तियों की सामान्य अभिरक्षा होगी जो स्टाफ के उन सदस्यों की निश्चित जिम्मेदारी तय करने के अधीन होगी जो उनके पास रखे गए स्टॉक या संपत्तियों की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार हों।

xii. सीईओ/प्रबंध निदेशक, प्रबंध कार्यकारिणी समिति या साधारण सभा के समक्ष रखे जाने के लिए वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, बजट और कार्ययोजना तैयार करेंगे।

xiii. सीईओ/प्रबंध निदेशक खातों, रजिस्टरों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करेंगे और नियमों के तहत और समय–समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित वित्तीय विवरण तैयार करेंगे और उन्हें ऑडिट, निरीक्षण, जाँच आदि के लिए उपलब्ध कराऐगें।

xiv. सीईओ/प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि ऋण बिना किसी देरी के तुरंत वितरित किए जाएं।

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited
JAIPUR

26. साधारण सभा की बैठकः

a) प्रबंध कार्यकारिणी समिति किसी भी समय राजस्थान महिला निधि की साधारण सभा की बैठक बुला सकती है, लेकिन ऐसी बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने से पहले, वर्ष में कम से कम एक बार बुलाई और आयोजित की जाएगी।

b) साधारण सभा की बैठक की सूचना कम से कम पंद्रह (15) स्पष्ट दिन पहले जारी की जाएगी, जिसमें बैठक का समय, स्थान और तारीख निर्दिष्ट होगी। ऐसा नोटिस सदस्य को निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम से भेजा जाएगाः–

i. राजस्थान महिला निधि के पंजीकृत कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर
ii. स्थानीय डाक वितरण के द्वारा
iii. पंजीकृत डाक द्वारा, या
iv. ई मेल द्वारा या वेबसाइट के माध्यम से
v. शेयरधारक सदस्यों के द्वारा नोटिस न मिलना, बैठक को स्थगित करने का उचित आधार नहीं होगा जब तक यह अन्यथा सिद्ध न हो।
vi. बैठक का नोटिस, राजस्थान महिला निधि के सीईओ/प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
vii. बैठक का कोरम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा।
viii. अध्यक्ष, सामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या सदस्यों में से चुना गया एक सदस्य, साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
ix. कोरम न होने की स्थिति में, साधारण सभा बैठक के निर्धारित समय से एक घंटे के भीतर, बैठक के नोटिस में दी गई दिनांक तक के लिए बैठक स्थगित हो जाएगी।
x. स्थगित हुई बैठक में उस कार्य, जिसके लिए वह बैठक बुलाई गई है, के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं किया जाएगा।
xi. शेयरधारक सदस्यों की मांग पर बुलाई गई विशेष साधारण सभा बैठक में कोरम न होने पर, आयोजन के निर्धारित समय से एक घंटे के भीतर, बैठक निरस्त हो जाएगी।
xii. सभी पात्र शेयरधारक सदस्यों का एक वोट होगा।
xiii. प्रस्ताव बहुमत के वोटों से पारित होंगे। वोट हाथ दिखा कर लिए जाऐंगे जब तक कोई शेयरधारक सदस्य मतपत्र की मांग न करे, उस स्थिति में तत्काल मतदान करवाए जाऐंगे।

27. ऋण की मंजूरी, संवितरण और ऋण का पुनर्भुगतान

a) प्रबंध कार्यकारिणी समिति को ऋण नीति और ऋण उत्पाद तैयार करने की यथोचित तत्परतापूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा करने और सदस्यों और नोमिनल सदस्यों को ऋण/ऋण सीमा की मंजूरी, पुनर्भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए और निर्धारित ऋण दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से प्राप्त करने या ऐसी अन्य शर्तें जो आरबीआई द्वारा समय–समय पर आवश्यक समझी जाए, उसे लागू करने हेतु अधिकृत किया जा सकेगा । अगले वित्तीय वर्ष के लिए, हर वर्ष की ऋण सीमा, अप्रैल महीने में अंतिम रूप से निर्धारित की जाएगी।

b) ग्राम संगठन (वीओ)/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के प्रत्येक ऋण प्रस्ताव पर ऋण नीति में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार यथोचित तत्परता बरती जाएगी ।

c) ग्राम संगठन (वीओ) और संकुल स्तरीय संघ (सीएलएफ), राजस्थान महिला निधि के पोर्टफोलियो की निगरानी के लिए, राजस्थान महिला निधि के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे,

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Cooperative Federation Limited JAIPUR

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा लिए गए ऋण के लिए दस्तावेज निष्पादित करेंगे और उनको अपने स्तर पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे।

d) ग्राम संगठन (वीओ) और संकुल स्तरीय संघ (सीएलएफ), यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा समय समय पर चिन्हित गरीब से गरीब परिवारों को, विशेष प्राथमिकता दी जाए ।

e) ऋण का भुगतान राजस्थान महिला निधि द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्य/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बीबीपीएस (भारत बिल भुगतान प्रणाली)/एयरटेल/फिनो पैमेंट बैंक के माध्यम से सीधे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में या राजस्थान महिला निधि के खाते में किस्त जमा करेंगे या स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आरटीजीएस/एनईएफटी/इंट्रा बैंक प्रेषण का उपयोग करके अपने खाते से राजस्थान महिला निधि के खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं और इसके साथ आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रख सकते हैं।

f) संकुल स्तरीय संघ (सीएलएफ)/ ग्राम संगठन (वीओ), इस बात की निगरानी करेगा कि ऋण नियत तिथि पर चुकाया जा रहा है या नहीं। वे राजस्थान महिला निधि को तत्पर पुर्नभुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे।

g) इस उद्देश्य के लिए केवल ई–बैंकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, ताकि ऋण अनुरोध भेजे जाने के समय से 48 घंटों के भीतर धन का वितरण किया जाएगा। उच्च स्तर के आजीविका मामलों में घरेलू आजीविका योजना (एचएलपी) का मूल्यांकन किया जाएगा और ऋण अनुरोध भेजे जाने के 15 दिनों के भीतर स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के बचत बैंक खाते या स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सहमति से, व्यक्तिगत खाते में पैसा जमा किया जाएगा।

h) ग्राम संगठन (वीआ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों को एक स्वचालित एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा कि राशि स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) खाते में स्थानांतरित कर दी गई है और उसे तुरंत आहरित किया जाएगा और वितरित किया जाएगा।

विविधः–

28. प्रबंध कार्यकारिणी समिति को राजस्थान महिला निधि की धनराशि को अधिनियम और नियमों द्वारा अनुमत तरीके से निवेश करने का अधिकार होगा।

29. राजस्थान महिला निधि को देय धनराशि के भुगतान में चूक की स्थिति में, प्रबंध कार्यकारिणी समिति के पास, सदस्यों के विरुद्ध, राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने की शक्ति होगी।

30. उपनियमों में किसी संशोधन पर, साधारण सभा की बैठक में विचार किया जाएगा जिस बैठक में ऐसे संशोधन पर चर्चा करने का आशय दिया गया हो. किया गया संशोधन, पंजीकरण के लिए बैठक की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

31. राजस्थान महिला निधि के लाभ का निपटान, मुख्य लेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम 2001 के प्रावधानों और उसमें उल्लिखित नियमों के अंतर्गत की गई घोषणा के अनुसार किया जाएगा। .

32. किसी उपविधि में कोई संशोधन, परिवर्तन या रद्दीकरण या परिवर्द्धन, सदस्यों की साधारण सभा की बैठक के अलावा नहीं किया जाएगा या तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि अधिकांश सदस्य बैठक में उपस्थित हों और इसके लिए मतदान न करें। वे तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि वे रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित और पंजीकृत न हों। रजिस्ट्रार, यदि उनकी राय

में राजस्थान महिला निधि के हित में उपविधि में कोई संशोधन आवश्यक है, तो वह राजस्थान महिला निधि को इसे अपनाने के लिए कह सकते हैं और उसके अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को सुनने के बाद, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया से संशोधन दर्ज कर सकते हैं। इस तरह के संशोधन का प्रभाव, राजस्थान महिला निधि द्वारा किए गए उप–नियमों के संशोधन के समान ही होगा।

33. राजस्थान महिला निधि, अधिनियम और नियम और राजस्थान महिला निधि के उपनियम की एक प्रति, अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक तुलन पत्रक, लाभ और हानि खाता और समिति के सदस्यों की सूची, अपने पंजीकृत कार्यालय में हर समय रखेगी और यह ऐसे सदस्य को निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर, निःशुल्क उपलब्ध कराएगी, जो पुस्तक और रिकॉर्ड के ऐसे हिस्से का निरीक्षण करने का अनुरोध करता है जिसमें उससे संबंधित लेनदेन दर्ज किए गए हैं।

34. यदि राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम और नियमों या किसी उप–नियम के गठन और राजस्थान महिला निधि के किसी भी मामले के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो प्रबंध कार्यकारिणी समिति, उसे सलाह के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को संदर्भित करेगी और तदनुसार कार्य करेगी।

35. राजस्थान महिला निधि, रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित प्रारूप में, वार्षिक रूप से तैयार करेगीः–

i. वर्ष के लिए प्राप्तियां और संवितरण दर्शाने वाला एक विवरण।
ii. लाभ और हानि खाता
iii. बैलेंस शीट और
iv. ऐसे अन्य विवरण जो समय–समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किए जाएं और उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करें।

36. अगर राजस्थान महिला निधि की कोई कोई राशि या संपत्ति, या तो चोरी हो गई है या अन्यथा खो गई है और अप्राप्य पाई गई है, तो ऐसी राशि या संपत्ति के मूल्य को, रजिस्ट्रार की अनुमति से, राजस्थान महिला निधि की साधारण सभा बट्टे खाते में डालने को स्वतंत्र होगी।

37. राजस्थान महिला निधि के उपनियमों और किसी भी सदस्य सोसायटी के उपनियमों में टकराव होता है तो पूर्व (राजस्थान महिला निधि) के उपनियम ही मान्य होंगे।

38. राजस्थान महिला निधि द्वारा कोई भी राशि देय है और भारतीय परिसीमा अधिनियम द्वारा अनुमत सीमा अवधि के भीतर दावा नहीं की गई है, तो उसे राजस्थान महिला निधि के आरक्षित निधि में जोड़ा जाएगा।

39. राजस्थान महिला निधि का समस्त नकद शेष, निकटतम अधिमानतः राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जायेगा। भुगतान, जहां तक संभव हो, केवल चेक द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन जहां, कुछ मदों के लिए भुगतान नकद करना होता है, आवश्यक नकद राशि बैंक से निकाली जा सकेगी और नकद प्राप्ति की तारीख से दो (2) दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। यदि किसी भी कारण से भुगतान दो (2) दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो असंवितरित राशि बैंक में जमा कर दी जानी चाहिए। छोटे नकद भुगतान के लिए सीईओ/प्रबंध निदेशक द्वारा अधिकृत नामित कर्मचारी/अधिकारी के पास 5000/– रुपये (केवल पांच हजार रुपये) का हैंड बैलेंस रखा जाना चाहिए। ऐसे सभी भुगतानों का हिसाब अलग रजिस्टर में रखा जाएगा।

40. राजस्थान महिला निधि, सरकार की चैनलाइजिंग एजेंसी के कार्य का निर्वहन करने कीं आवश्यकतानुसार, आरबीआई द्वारा विनियमित किसी भी वित्तीय संस्थान को, ऋण या किसी भी राशि के भुगतान और प्राप्ति के लिए, सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु चुन सकती है।

41. RAPSAR अधिनियम के प्रावधान राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड पर लागू होंगे ।

JAIPUR